66

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 353–पीबीआर/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–12 – पारित व्दारा – अपर कलेक्टर, विदिशा – प्रकरण कमांक 217/10–11 निगरानी

आजाद सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह
ग्राम ओलींजा तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती राधिका सिंह पत्नि परमेश्वरनाथ
पुत्री पतिराम निवासी नई बस्ती चांदपुर
मौजा सिंगड़ी तहसील बासडीह, बलिया (उ0प्र0प्रदेश) ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 6-07-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 217/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार ग्यारसपुर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 29–1–10 प्रस्तुत कर आग्रह किया कि ग्राम ओलींजा स्थित भूमि सर्वे नंबर 568/2 रकबा 2.00 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पतिराम पुत्र बल्देवसिंह के नाम भूमिस्वामी के रूप में

दर्ज है । पतिराम की मृत्यु 20-8-10 को हो चुकी है। पतिराम व्दारा दिनांक 20-8-2007 को एक बसीयतनामा उसके नाम निष्पादित किया है। बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार ग्यारसपुर ने प्रकरण कमांक 41-अ-6/ 2009-10 पंजीबद्व किया तथा आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 6-3-2010 पारित किया एंव आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर ने प्रकरण कमांक 47/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-6-2010 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार ग्यारसपुर का आदेश दिनांक 6-3-2010 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर, विदिशा के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 217/10-11 में पारित आदेश दिनांक 31-1-12 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायलयों के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया आवेदक ने पतिराम पुत्र बल्देवसिंह के नाम की वादग्रस्त भूमि पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा है । बसीयत की मूल प्रति तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 41-अ-6/ 2009-10 में पृष्ठ 4 पर संलग्न है जो श्री पुरूषोत्म कुशवाह एडवोकेट व्दारा तस्दीक है एंव बसीयत पर पतिराम का निशानी अॅगूठा लगा है। बसीयत में लिखवाया गया है कि बसीयतकर्ता के कोई संतान नहीं

है जबकि बसीयतकर्ता की अनावेदक पुत्री है जिसे तहसील न्यायालय में आवेदक ने पक्षकार नहीं बनाया है तथा तहसीलदार ने भी पटवारी से अथवा ग्रामीणों से मृतक पतिराम के वारिसान की जानकारी प्राप्त नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में पतिराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ है जो उत्तर प्रदेश का है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पतिराम 4-1-10 को मरा है जबकि आवेदक ने पतिराम की मृत्यु 20-8-10 को होना बताई है। अनावेदक पतिराम की पुत्री है और उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर ने आदेश दिनांक 29-6-10 से तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में एंव हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने में त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 217/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 से अनुवभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 217/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर